



म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 5842 / NR-3 / 17 / 10

भोपाल, दिनांक 08/06/2010

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त (मध्य प्रदेश)

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश अंतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों को वर्षा ऋतु के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाये जाने के संबंध में।

- संदर्भ :-** 1. परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं. 4059 / NR-3 / 17 / 09 भोपाल, दिनांक 21.05.09
2. परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं. 3761 / NR 3 / 17 / 09 भोपाल, दिनांक 7.06.09

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्मित कूपों को वर्षा ऋतु के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। वर्षा ऋतु में कुएँ क्षतिग्रस्त न हों, इस हेतु अपूर्ण/असुरक्षित समस्त कूपों का सतत निरीक्षण कराया जाकर वर्षा ऋतु के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाये जाने की कार्यवाही की जावे। यदि किसी जिले में वर्षा के कारण कूप क्षतिग्रस्त होते हैं, तो सर्वसंबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये, नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(शिव शेखर शुक्ला)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक 08/06/2010

पृ. क्रमांक / 5843 / NR-3 / 17 / 10
प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त (समस्त) संभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)